Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 130-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 2, 2019 (SRAVANA 11, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 2nd August, 2019

No. 29-HLA of 2019/68/11883.— The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :–

Bill No. 29–HLA of 2019

THE HARYANA DEVELOPMENT AND REGULATION OF URBAN AREAS (AMENDMENT) BILL, 2019

A

BILL

further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Act, 2019.

Short title.

2. For clause (hha) of section 2 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (hereinafter called the principal Act), the following clause shall be substituted, namely:–

Amendment of section 2 of Haryana Act 8 of 1975.

'(hha) "State Infrastructure Development Charges" includes the cost of development of major infrastructure projects;'.

3. In the principal Act, for the words "infrastructure development charges", wherever occurring, the words "State Infrastructure Development Charges" shall be substituted.

Substitution of certain phrases in Haryana Act 8 of 1975.

4. In section 3 of the principal Act, in sub-section (1), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

Amendment of Section 3 of Haryana Act 8 of 1975.

"Provided further that the schedule of payment of fee and charges for various licence colonies shall be such, as may be specified by the Government by directions issued from time to time under section 9A of this Act.".

Insertion of section 8B in Haryana Act 8 of 1975.

5. After section 8A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"8B. Surrender of licence.– (1) A colonizer intending to surrender a licence or part of licence may apply for surrender of licence along with such documents, as may be prescribed.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), the Director shall undertake scrutiny of such application to ascertain that over the licenced area, or part of it, for which licence is proposed to be surrendered,–

(a) no third party rights exists;

(b) no internal development works exist at site and the site stands restored to its original state as it was before the grant of licence;

(c) the area norms for the part of licenced area being retained, if any, fulfils the applicable area norms for grant of such licence; and

(d) any other condition as may be prescribed.

(3) After scrutiny of application, the Director may, by an order in writing, either allow surrender of licence on such terms and conditions along with forfeiture of such fee and charges, as may be prescribed or reject it, citing reasons thereof.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Firstly, the abbreviation for both the Infrastructure Development Charges and Internal Development Cost is IDC. Therefore, for the sake of clarity, the nomenclature of Infrastructure Development Charges is sought to be changed to State Infrastructure Development Charges (SIDC).

Secondly, for the purpose of introducing flexibility in the schedule of payment of fee and charges, a proviso to sub-section (1) of section (3) is sought to be inserted.

Finally, there was no provision in the Act for surrender of license granted under the Act. Accordingly, Section 8B is sought to be inserted to fulfil the said purpose.

Hence, this Bill.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 2nd August, 2019.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2019 का विधेयक संख्या 29–एच०एल०ए०

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2019

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम ।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संषोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है।

1975 का हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (जजक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड़ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(जजक) ''राज्य अवसंरचना विकास प्रभारों'' में शामिल है मुख्य अवसंरचना परियोजनाओं के विकास की लागत;'।

1975 का हरियाणा अधिनियम 8 में कतिपय वाक्यों का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम में, ''अवसंरचना विकास प्रभार'' शब्द जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, ''राज्य अवसंरचना विकास प्रभार'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1975 का हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 3 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में, उप–धारा (1) में, प्रथम परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह और कि विभिन्न अनुज्ञप्ति उपनिवेशों के लिए, फोस तथा प्रभारों के भुगतान की अनुसूची ऐसी होगी, जो इस अधिनियम की धारा 9क के अधीन, सरकार द्वारा, समय–समय पर, जारी किए गए निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।''।

1975 का हरियाणा अधिनियम 8 में धारा 8ख का रखा जाना।

5. मूल अधिनियम की धारा 8क के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

''8ख. अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण.– (1) किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के भाग के अभ्यर्पण का आशय रखने वाला उपनिवेशक ऐसे दस्तावेजों, जो विहित किए जाएं, सहित अनुज्ञप्ति के अभ्यर्पण के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, निदेशक ऐसे आवेदन की संवीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुज्ञप्त क्षेत्र, या इसके भाग के बाहर, जिसके लिए अनुज्ञप्ति अभ्यर्पण की जानी प्रस्तावित है, करेगा,–

(क) कोई तृतीय पक्ष अधिकार विद्यमान नहीं हैं;

(ख) स्थल पर कोई भी आन्तरिक विकास संकर्म नहीं है और स्थल को उसकी मूल स्थिति में प्रत्यावर्तित कर दिया है, जैसी यह अनुज्ञप्ति के प्रदान करने से पूर्व थी।

(ग) रखे जा रहे अनुज्ञप्त क्षेत्र के भाग के लिए क्षेत्र मानदण्ड, यदि कोई हों, ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए लागू क्षेत्र मानदण्डों को पूरा करते ह; तथा

(घ) कोई अन्य शर्त, जो विहित की जाए।

(3) आवेदन की संवीक्षा के बाद, निदेशक, लिखित में आदेश द्वारा, या तो ऐसी फीस तथा प्रभारों के समपहरण सहित ऐसे निबन्धन तथा शर्त, जो विहित की जाएं, पर अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण अनुज्ञात कर सकता है या इसके कारण उल्लेख करते हुए, इसे रद्द कर सकता है।''।

उद्देश्य तथा कारणों का विवरण

प्रथमतया, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज और आतंरिक विकास लागत दोनों को संक्षेप में आई डी सी कहते है। अतः, इस बारे स्पस्ष्टता हेतु, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज के नामकरण को बदल कर राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज (एस आई डी सी) किया जाना है।

दूसरे, शुल्क और प्रभार के भुगतान में सहूलियत देने के उद्देश्य से, धारा (3) के उपधारा (1) में एक परंतुक सम्मिलित किया जाना है।

अंत में, अधिनियम के तहत दिए गए किसी लाइसेंस के अभ्यर्पण हेतु अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था। तदानुसार, धारा 8 ख को अधिनियम में सम्मिलित किया जाना है।

अतः, यह विधेयक।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 2 अगस्त, 2019.

आर० के० नांदल,
सचिव।